

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को संबोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या : R/923/प्रवेश/2021

दिनांक : 10/9/2021

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

गहोदय/महोदया,

लखनऊ विश्वविद्यालय पी0एच0डी0 शोध अध्यादेश 2020 के बिन्दु संख्या 6.11 के सन्दर्भ में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा सत्र 2020-21 के अन्तर्गत पी0एच0डी0 शोध में प्रवेश हेतु तत्समय प्रेषित रिक्तियों की संख्या में ऐसे शिक्षकों के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनकी सेवा अधिवर्षता की तिथि से एक वर्ष से कम है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश 2020 में निम्नलिखित व्यवस्था है :- Point 6.11 of Ph.D. Ordinance 2020 reads as "A Faculty member who has less than one year of service before superannuation, cannot be allowed to enroll any new/fresh research scholars, However, s/he can continue to be the Supervisor of already registered candidates even after his/her superannuation provided the DRC is convinced of his/her availability for continued guidance to the candidate."

अतः उपरोक्तानुसार यदि त्रुटिवश आपके द्वारा ऐसे शिक्षकों के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों को प्रेषित रिक्तियों की संख्या में सम्मिलित करते हुए प्रवेश सेल को प्रेषित किया गया है तो, अधोहस्ताक्षरी एवं समन्वयक प्रवेश को दो कार्य दिवसों की अवधि में उन रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि शोध अध्यादेश 2020 के नियमों के अनुसार शोध (Ph.D.) के प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकें।

भवदीय,

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रभारी, यू0डी0आर0सी0, ल0वि0वि0, को इस आशय से प्रेषित कि वेबसाइट पर अपलोड एवं समस्त को सूचित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव